षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-14.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राजेंद्र कुमार, स०वि०स० श्री गुलाब यादव, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स०	"बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जीविका) में 11 दिसम्बर, 2016 को 11 विभिन्न प्रकार के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिये कुल 214 रिक्तियों का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुआ । सभी पदों के लिये सोसायटी द्वारा 24 एवं 25 फरवरी, 2017 को साईंस कॉलेज में लिखित परीक्षा हुई । लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले अभ्यर्थियों का ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू 8 से 10 अप्रैल, 2017 तक हुआ । परीक्षाफल प्रकाशित होने पर यह तथ्य सामने आया कि लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक लानेवाले को साक्षात्कार में कम अंक देकर फेल कर दिया गया और कम अंक लानेवाले को साक्षात्कार में ज्यादा नंबर देकर पास कर दिया गया । साक्षात्कार में पक्षपात कर नियुक्ति में की जाने वाली अनियमितता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा क्लास-3 एवं क्लास-4 के पदों की नियुक्ति में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार की नियुक्तियों में अभी भी साक्षात्कार की व्यवस्था जारी है, जिसके कारण आये दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं । अतः बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जीविका) में हुई अनियमित नियुक्तियों की जांच करने तथा क्लास-3 एवं क्लास-4 की नियुक्ति में साक्षात्कार की व्यवस्था को राज्य में समाप्त किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री विजय प्रकाश, स०वि०स० श्री अरूण कुमार, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री यदुवंश कुमार यादव, स०वि०स०	"बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1976 धारा-3(4) के अन्तर्गत सारी शर्त्तों को पूरा करने वाले विद्यालय अनुशंसित एवं अधिग्रहित हो चुके हैं जो वेतन भुगतान के लिए सारी शर्त्तों को पूरा करते हैं । 500 विद्यालयों के लिए अध्यादेश संख्या-1167, दिनांक-02.05.1980 शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया गया, जिसमें से 110 विद्यालयों का 1980-84 के बीच वेतन भुगतान किया गया । शेष 390 विद्यालयों में से 21 विद्यालय झारखण्ड राज्य में चले गये और उसी में से 06 विद्यालयों का वेतन भुगतान हो रहा है । इसी सूची में अल्पसंख्यक विद्यालयों की संख्या-10, हरिजन विद्यालयों की संख्या-17 तथा कन्या विद्यालयों की संख्या-54 है । शेष 364 विद्यालयों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक में दिनांक-13.12.1989 को रखा गया और दिनांक-16.01.1990 को अधिग्रहण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है । अत: शेष 364 विद्यालयों का वेतन भुगतान करने की कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/18- 1249-1259 / वि०स०, पटना, दिनांक-13 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
13.3.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/18- 1249-1259 / वि०स०, पटना, दिनांक-13 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
13/3/2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

तपन
13/3/18